

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या-2194 / 2014 / जयपुर
2. अपील संख्या-2195 / 2014 / जयपुर
3. अपील संख्या-2196 / 2014 / जयपुर
4. अपील संख्या-2197 / 2014 / जयपुर
5. अपील संख्या-2198 / 2014 / जयपुर

मैसर्स देवांस मार्टन ब्रेवरीज लि0,
एसपी-3-6, रीको इण्डो एरिया,
केशवाना कोटपुतली, जयपुर।

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त तृतीय, जयपुर।

.....प्रार्थी

.....अप्रार्थी.

खण्डपीठ

श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री पंकज घीया, अभिभाषक।

.....प्रार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

..... राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.10.2017

निर्णय

1. अपीलार्थीगण द्वारा यह पांचों अपीलें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेशों के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) धारा 9(2), 9(2)(ए) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वैट अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत व्यवहारी के विरुद्ध पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 04.12.2014 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को विवादित किया है। उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अपील सं.	कर निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
2194 / 14	2009-10	1,29,60,500	80,35,510	2,59,21,000
2195 / 14	2010-11	77,46,600	38,73,300	1,54,93,200
2196 / 14	2011-12	2,48,91,750	94,58,865	4,97,83,500
2197 / 14	2012-13	1,21,18,500	31,50,810	2,42,37,000
2198 / 14	2013-14	53,85,600	7,53,984	1,07,71,200

2. इन सभी पांचों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, एवं निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त तृतीय, जयपुर द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य में निर्मित बीयर IMFL (Indian Made Foreign Liquor) का बिहार राज्य में अन्तर्राज्यीय विक्रय किया गया है, जिसे लेखा-पुस्तकों में स्टॉक ट्रांसफर दर्शाया गया है। इस प्रकार उक्त कृत्य को

लगातार.....2

करापवंचन की मंशा से किया जाना मानते हुए, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9(2) व 9(2)(ए) सपठित वेट अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत दिनांक 04.12.2014 को पारित करते हुए उपरोक्त तालिकानुसार कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह पांचों अपीलों अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि बिहार राज्य स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन को प्रस्तावित डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट मात्र माल की आपूर्ति के लिए स्थायी प्रस्ताव है। व्यवहारी एवं बिहार राज्य स्टेट ब्रेवरीज के लिखित करार के तथ्यों के विपरीत है। मैसर्स बीएसबीसीएल के परिपत्र संख्या 675/बीएसबीसीएल दिनांक 12.03.2008 (यथा समय अवधि वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 तक विस्तारित) के अंतर्गत जारी लीकर सोर्सिंग पोलिसी (Liquour sourcing policy) के बिन्दु संख्या 3 के में निम्न प्रावधान है:-

3.1 Manufactures desirous of supplying liquor to the corporation (short for BSBCL) for subsequent distribution to buyer shall submit the following documents, before their offer can be considered and action initiated.

(i) Details of the organization of the manufacturer/supplier to be given in its letter head in the format in annexure 1.

(ii) A certified copy of the licence granted by the concerned Excise Commissioner/competent authority of the concerned State.

(iii) Details of executives and/ or representatives to deal the Corporation to be given in its letter head as per the format in Annexure 2 and Annexure 3 respectively.

(iv) An agreement as in the format in Annexure 4 duly executed by the authorized signatory of the manufacturer/supplier in a stamp paper of denomination of Rs. 100/-

लीकर सोर्सिंग पोलिसी (Liquour sourcing policy) में स्पष्ट वर्णित है कि कॉर्पोरेशन को मदिरा आपूर्ति करने का इच्छूक विनिर्माता प्रपत्र Annexure 4 के अंतर्गत निर्माता की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता करार (Agreement) निष्पादित करेगा। लीकर सोर्सिंग पोलिसी (Liquour sourcing policy) के उक्त प्रावधान के अनुसरण में व्यवहारी कम्पनी एवं मैसर्स बी. एस.बी.सी.एल., पटना, बिहार को बीयर आपूर्ति के लिए Annexure 4 के अंतर्गत करार किया गया है एवं उक्त करार को समय समय पर वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 (दिनांक 19.08.2013) के लिए विस्तारित किया गया है। व्यवहारी की पटना स्थित ब्रांच की जांच पर व्यवहारी कम्पनी से माल की बिक्री के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 4 के अनुसार विक्रय और विक्रय करने का करार

से आशय -

(1.) माल के विक्रय की संविदा ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता माल में की सम्पत्ति क्रेता को कीमत पर अन्तरित करता है या अन्तरित करने का करार करता है। एक भागिक स्वामी और दूसरे भागिक स्वामी के बीच विक्रय की संविदा हो सकेगी।

(2.) विक्रय की संविदा आत्यान्तिक या सशर्त हो सकेगी।

(3.) जहां कि माल में की सम्पत्ति विक्रेता से क्रेता को विक्रय की संविदा के अधीन अन्तरित होती है, वहां संविदा विक्रय कहलाती है, किन्तु जहां माल में की सम्पत्ति का अन्तरण किसी आगामी समय में या किसी शर्त के अध्यधीन होना है जो तत्पश्चात पूरी की जाती है, वहां संविदा विक्रय का करार कहलाती है।

(4.) विक्रय कराने का करार तब विक्रय हो जाता है जब वह समय बीत जाता है या वे शर्तें पूरी हो जाती हैं जिनके अध्यधीन माल में की सम्पत्ति अन्तरित होती है।

समस्त प्रकरणों में विक्रेता व्यवहारी द्वारा क्रेता व्यवहारी मै. बीएसबीसीएल को माल बीयर की आपूर्ति के लिए कुछ शर्तों के अधीन लिखित में करार किये गए हैं। क्रेता मै. बीएसबीसीएल द्वारा माल के विक्रय के एग्रीमेन्ट की शर्तों के अनुसार आर्डर फॉर सप्लाय जिसके अन्तर्गत मात्रा, कीमत, माल की किस्म वर्णित है, विक्रेता व्यवहारियों को दिए जाते हैं। अनुबन्ध की शर्तों के अधीन विक्रेता व्यवहारी द्वारा आर्डर फॉर सप्लाय में अंकित कॉर्पोरेशन के डिपा पर माल बीयर की आपूर्ति की जाती है।

अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मै. हैदराबाद इन्जि. बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य, South India Viscose Ltd. निर्णय (1984) 48 एसटीसी 232, मैसर्स ऑयल इण्डिया लि. बनाम अधीक्षक ऑफ टैक्सेज (1975) 35 एसटीसी 449 (एससी), (1990) 79 एसटीसी 42 एपी स्टेट बनाम ग्रेडिण्डिया केमीकल्स प्रा.लि. (एपीएचसी) आदि प्रस्तुत कर निवेदन किया कि व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहार स्टॉक ट्रांसफर के रूप में किया गया है, जिसका समस्त इंड्राज उसकी बहियात में किया हुआ है। अपीलार्थी व्यवहारी की समस्त भारत में इकाईयां स्थापित हैं एवं इसी क्रम में एक लिखित अनुबंध के आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य में मांग अनुरूप माल की सप्लाय स्टॉक ट्रांसफर के रूप में की जाती है। कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी आधार के इसे अन्तर्राज्यीय बिक्री मानते हुए तदनुसार कर, ब्याज व शास्तियां का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

7. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 1229 से 1233/2014/अलवर मैसर्स यूनाईटेड ब्रेवरीज लिमिटेड भिवाडी बनाम सहायक आयुक्त अपील संख्या 1330 से 1334/2014/अलवर मैसर्स कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्रा0 लिमिटेड अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं अपील संख्या 541 से 544/2014/अलवर मैसर्स माउंट शिवालिक इण्ड0 लि0, अलवर बनाम सहायक आयुक्त में

पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 24.11.2014 को उद्धरित करते हुए उल्लेख किया कि व्यवहारी द्वारा सुनियोजित तरीके से करापवंचन किया गया है, एवं प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत्त को व्यवहारी के प्रकरण में ग्राहित क्षेत्राधिकार पूर्णतः विधिक है। अतः उन्होंने केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(अ) के तहत कपटपूर्वक क्लेम किये गये शाखान्तरण को अविधिक बतलाते हुए व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार करने एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को बहाल करने का निवेदन किया।

8. उभयपक्षीय बहस, रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का परिशीलन किया गया। प्रकरणों में विक्रेता व्यवहारी मैसर्स देवांस मॉर्डन ब्रेवरीज लि., केशवाना, कोटपूतली, जयपुर द्वारा पूर्व विद्यमान बी.एस.बी.सी.एल. से विक्रय करने का करार के अधीन विशिष्ट क्वालिटी व मात्रा केवल मैसर्स बी.एस.बी.सी.एल. के लिए माल का विनिर्माण किया जाकर राजस्थान राज्य से बाहर अन्य राज्य के लिए माल का गमन संचलन (Movement) होना पाया जाता है। विक्रेता मैसर्स देवांस मॉर्डन ब्रेवरीज लि., केशवाना, कोटपूतली, जयपुर को उसके विक्रय किये जाने वाले माल के संबंध में लिखित अनुबन्ध के अनुसार विशिष्ट खरीददार ज्ञात है तथा अन्ततोगत्वा खरीददार के आदेशित विशिष्टताओं के माल का विनिर्माण कर विक्रय किया जाता है। बिहार स्थित मैसर्स बी.एस.बी.सी.एल. के गोदाम तक माल पहुँचाने में जाखिम (Risk) विक्रेता व्यवहारी की है। क्रेता मैसर्स बी.एस.बी.सी.एल., बिहार द्वारा Agreement to sell विनिर्माता कम्पनी आदेशित विशिष्टताओं के माल का विनिर्माण Pre-order द्वारा विक्रेता व्यवहारी कम्पनी से करवाया गया है तथा मैसर्स बी.एस.बी.सी.एल., बिहार ही विनिर्माता माल का अन्ततोगत्वा एकमात्र खरीददार है। अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किये जाने वाले विक्रय संव्यवहार पर कर चुकाने का दायित्व विक्रेता मैसर्स देवांस मॉर्डन ब्रेवरीज लि., केशवाना, कोटपूतली, जयपुर का होता है। यह स्पष्टतः अन्तर्राज्यीय विक्रय प्रमाणित होता है। अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किये गये विक्रय संव्यवहारों को कपटपूर्वक मिथ्या घोषणा करते हुए शाखा अन्तरण की घोषणा की जाकर केन्द्रीय अधिनियम के अधीन दायित्वाधीन कर का करापवंचन का कृत्य कारित किया गया है। विक्रेता व्यवहारी मैसर्स देवांस ब्रेवरीज लि., केशवाना, कोटपूतली, जयपुर ने अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में निष्पादित विक्रय संव्यवहारों को शाखा अन्तरण की आड लेकर के शाखा अन्तरण की मिथ्या घोषणा करते हुए करापवंचन किया गया है।

9. व्यवहारी द्वारा कपट पूर्वक तरीके से छद्म रूप से अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत शाखा अन्तरण को घोषित किया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। व्यवहारी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दोषी मस्तिष्क के साथ (Malafide Intention) अन्तर्राज्यीय बिक्री को स्टॉक ट्रांसफर छद्म रूप से घोषित करते हुए करापवंचन किया है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण के तथ्य मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडू राज्य से भिन्न पाये जाते हैं। अतः मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडू राज्य का प्रकरण इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड अपील संख्या 541-544 / 2014 मैसर्स माउण्ट शिवालिका इण्ड. लि. बनाम सहायक आयुक्त, निर्णय दिनांक 24.11.2014 में इस मत को स्वीकार किया जाकर अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को उचित

माना गया है। उक्त विवेचनानुसार जानबूझकर सचेतन मस्तिष्क से छद्म घोषणा करके कर का अपवंचन करना प्रमाणित हुआ है। व्यवहारी कम्पनी ने भले ही समस्त व्यवहार लेखा पुस्तकों में अंकित किये हैं, किन्तु उसने जानबूझकर अन्तर्राज्यीय बिक्री घोषित नहीं कर स्टॉक अन्तरण घोषित किया है तथा व्यवहारी कम्पनी ने अपनी इस गलती को अब भी स्वीकार नहीं किया है, जो उक्त विवेचन से प्रमाणित है। इस प्रकार माननीय न्यायालयों के दृष्टांत इस प्रकरण से भिन्न होने से इस हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। अतः केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9(2)(ए) सपठित अधिनियम की धारा 61 के अधीन करापवंचित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर किये गये करापवंचित कर राशि की दुगुनी तुल्य राशि आरोपणीय है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने उचित आधार पर कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

10. परिणामस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को यथावत रखते हुए, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया जाता है।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष